न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 57/2023

जितेन्द्र कुमार जैन -बनाम- सुनिता तुरी वगै0

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
25.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।	

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
बिरनगड्डा	0098	46	375	1.11 एकड़ के मध्य 19 डि.

अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि मौजा: बिरनगड्डा, थाना नं0 98, खाता नं0 46, प्लॉट नं0 375 रकवा: 1.11 एकड़ भूमि सर्वे खतियान अनुसार गैर मजरूआ खास खाते किस्म परती कदीम दर्ज है। इसी भूमि के मधे लगभग 0.19 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त खाता प्लॉट में रकवा 55.5 डि. भूमि इन्हें केवाला से खरीदगी प्राप्त है तथा पूरा रकवा 1.11 एकड़ भूमि का एग्रीमेन्ट इनके पक्ष में है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि के मधे 19 डि. भूमि पर चाहरदिवारी देने का कार्य किया जा रहा है।

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित किया गया। जिसे अभिलेखबद्ध किया गया है।

---- विचारण एवं आदेश ----

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष को वादगत भूमि निबंधित केवाला सं. 4725 दिनांक 17.04.2008 के माध्यम से श्रीमति लक्ष्मी देवी पति सुरेश चन्द्र जैन को संजय तुरी से कुल रकवा 1.11ए0 के मधे $27\frac{3}{4}$ डि. भूमि तथा केवाला सं. 4598 दिनांक 11.04.2008 के माध्यम से कुल रकवा 1.11 ए. के मधे $27\frac{3}{4}$ डि. भूमि रमेश तुरी से श्रीमति लक्ष्मी देवी, पति: सुरेश चन्द्र जैन को प्राप्त है। इस प्रकार कुल

29.01.24
Certified Copy Issued

रकवा 55.5 डि. भूमि निबंधित दस्तावेज के माध्यम से प्रथम पक्ष के माँ को संजय तुरी वो रमेश तुरी दोनों के पिता: लखन तुरी से भूमि प्राप्त है। द्वितीय पक्ष सुनिता देवी विक्रेता रमेश तुरी के पत्नी है तथा संजय तुरी स्वंय है। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज(दादा) लखन तुरी के नाम से उक्त भूमि कुल रकवा 1.11 एकड़ बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा भूदान पर्चा के माध्यम से हासिल है एवं ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है।

इस प्रकार मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि वादगत भूमि गैर मजरूआ खास किस्म की भूमि है, जिस पर प्रथम पक्ष निबंधित दस्तावेज के माध्यम से 55.5 डि. भूमि पर दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकवा 1.11 ए. भूमि को उनके दादा के नाम से प्राप्त भू-दान पर्चा के माध्यम से हासिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष सम्पूर्ण 1.11 एकड़ भूमि पर दावा करते हैं, जबकि उनके द्वारा केवल 55.5 डि. भूमि का हीं राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। शेष 55.5 डि. भूमि के संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल यह बताया गया है कि शेष भूमि पर एग्रीमेन्ट किया गया है। एग्रीमेन्ट की गई भूमि पर दावा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मूलत: यह भूमि गैर मजरूआ खास किस्म की भूमि है एवं निबंधित दस्तावेज तथा भू-दान पर्चा के माध्यम से उभय पक्ष अपना-अपना दावा प्रस्तुत कर रहें हैं, इस प्रकार यह मामला स्वत्व(Title Suit) का बनता है। जिसका निष्पादन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो अपने दावे के सत्यापन हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। तबतक के लिए उभय पक्ष वादगत भूमि पर विधि-व्यवस्था शांत बनाए रखेंगे।

आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित

Sd/- 25/11/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Sd/- 25/11/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.07.22 18:53:27 +05:30
Location: 192.168.1.8

Certified Copy Issued 29.01.24